भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 681
08 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाना

681 श्री नीरज शेखर:
श्री कैलाश सोनी:
श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में किसान की आय बढ़ाने के मुद्दे का समाधान किस प्रकार किया है;

(ख) क्या इन पहलों के कार्यान्वयन से गैर-कृषि रोजगार अवसरों की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन में कमी आई है; और

(ग) किसानों की कृषि ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्यों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य पालन विभाग का बजट आवंटन केवल 30,223.88 करोड़ था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट 2023-24 में रु.1,25,035.79 करोड़ हैं।

सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत बजटीय प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के उत्पादन, लाभकारी प्रतिफल और आय सहायता में वृद्धि करके किसानों के कल्याण के लिए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई कोष
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

10. कृषि यंत्रीकरण
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
12. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का शुभारंभ
14. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
15. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
16. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
17. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण
18. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

उपरोक्त योजनाओं से होने वाले लाभ को संक्षेप में नीचे दिया गया है:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता

वर्ष 2019 में पीएम-किसान की शुरूआत – यह एक आय सहायता योजना है जिसमें 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 30.11.2023 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई है।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

सात वर्ष (अनंतिम)- पीएमएफबीवाई वर्ष 2016 में किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने के लिए शुरू की गई थी । कार्यान्वयन के पिछले 7 वर्षों में – 49.46 करोड़ किसान आवेदनों को नामांकित किया गया है और 14.90 करोड़ (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिसके लिए उन्हें 1,46,664 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए उन्हें दावों के रूप में लगभग 502 रुपये प्राप्त हुए हैं।

डिजीक्लेम - दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दावों का भुगतान करने तथा दावों के अंतरण हेतु दावा भुगतान मॉड्यूल का उपयोग किया गया। इस पहल को खरीफ 2022 मौसम के बाद से कार्यान्वयन हेतु दिनांक 23 मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण

i. वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 21.55 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

ii. पशुपालन एवं मात्स्यिकी किसानों को उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4% प्रति वर्ष ब्याज पर केसीसी के माध्यम से रियायती संस्थागत ऋण का लाभ भी दिया गया है।

iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 20.10.2023 तक, अभियान के हिस्से के रूप में 5,47,819 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 482.73 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना निर्धारित करना

i. सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिफलन के साथ एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

iii. गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में प्रति क्विंटल 1400 रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में प्रति क्विंटल 2275 रुपये कर दिया गया।

5. देश में जैविक खेती का संवर्धन

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की शुरुआत शुरू की गई थी। पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत 32,384 क्लस्टर (प्रत्येक 20 हेक्टेयर) का गठन किया गया है, 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है और 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है तथा प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

ii. सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। इस प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय बढ़ाना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित और स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। 189039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

6. प्रति बूंद अधिक फसल

वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य देश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों

के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। अब तक वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 81.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और 18,893.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

7. सूक्ष्म सिंचाई कोष

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष से सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) का गठन किया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार, कोष की कॉर्पस निधि को बढाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है। अब तक 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया है।

8. एफपीओ का संवर्धन

i. माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28 तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 10,000 नए एफपीओ के गठन एवं संवर्धन नामक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरुआत की थी।
ii. दिनांक 31.10.2023 तक, 7476 एफपीओ को नई एफपीओ योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।
iii. 2663 एफपीओ को 113.68 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया है।
iv. 918 एफपीओ को 213.82 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कवर जारी किया गया है।

9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 500.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 3 वर्षों की अवधि अर्थात 2020-21 से 2022-23 के लिए शुरू किया गया था और इस योजना को आवंटित बजट 500.00 करोड़ रुपये में से उपलब्ध बजट 370.00 करोड़ रुपये के साथ वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है।

10. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों की कठिनाई को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2023 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 6405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सब्सिडी पर किसानों को 15,23,650 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग सेंटर, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 37937 कृषि मशीनरी के वितरण के लिए, 1916 कस्टम हायरिंग केंद्रों हेतु 41 हाईटेक केंद्रों और 82 कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए राज्यों को 252.39 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार ने 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 महिला एसएचजी के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदन दिया है।

11. नमो ड्रोन दीदी

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत का @ 80% अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि इन्फ्रा फाइनेंसिंग सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत घटाकर सब्सिडी) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को स्थायी व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे प्रति वर्ष कम से कम 1.0 लाख रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं-

i. चरण-I (2015 से 2017) – 10.74 करोड़

ii. चरण-II (2017 से 2019) - 12.19 करोड़

iii. मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख

iv. वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना

i. 23 राज्यों और 04 केंद्रशासित प्रदेशों की 1388 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। (27 अतिरिक्त मंडियों को ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर (6) मध्य प्रदेश (3) महाराष्ट्र (14) उत्तराखंड (4) शामिल हैं।)

ii. दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक, 1.76 करोड़ किसानों और 2,49,903 व्यापारियों को ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 8.47 करोड़ मीट्रिक टन और 29.25 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) की कुल मात्रा, जिसका कुल मूल्य लगभग 2.98 लाख करोड़ है, का व्यापार दर्ज किया गया है।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- ऑयल पाम का शुभारंभ

एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) अगस्त, 2021 के दौरान शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना है, सीपीओ उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेल पर आयात के बोझ को कम करना। यह मिशन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ के कुल परिव्यय से पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 क्षेत्रफल में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल करेगा।

15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ):

एक लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन राशि और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामूदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा का संघटन करना है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता प्रदान की जा रही है।

16. कृषि उपज संभार-तंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत

रेल मंत्रालय द्वारा किसान रेल का शुभारंभ विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाली कृषि-बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को पूरा करने के लिए की गई थी। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में चलाई गई थी। दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक (दिनांक 31.10.2023 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटक के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तारः- चिन्हित बागवानी फसलों के 12.95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पौधशालाएँ:- गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री के उत्पादन हेतु 872 पौधशालाएँ स्थापित की गई हैं।
- जीर्णोद्धार:- पुराने और जीर्ण बागानों के 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के तहत 52069 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के तहत 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधनः- 49979 जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है।
- मधुमक्खी पालन:- छत्तों सहित 15.93 लाख मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी यंत्रीकरण:- 2.60 लाख बागवानी यंत्रीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।

- फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना: - 1.14 लाख फसलोपरांत प्रबंधन इकाईयों की स्थापना की गई है।
- मंडी अवसरंचना:- 14349 मंडी अवसरंचना स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- मानव संसाधन विकास के तहत 9.11 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अब तक 1259 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा चुना गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप्स के वित्त पोषण के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में सहायता अनुदान के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

19. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में कृषि एवं संबद्ध वस्तुओं का निर्यात 2020-21 में **41.86** बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में **50.24** बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है अर्थात **19.99%** की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, डेयर, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है, ने ऐसी योजनाएं कार्यान्वित की हैं जिनसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दोगुना से अधिक बढ़ा ली है।

वर्ष 2022-23 में देश में किसानों के कल्याण पर खर्च की गई राशि कई गुना बढ़ गई है अर्थात अकेले इसी वर्ष 6.5 लाख करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च का विवरण इस प्रकार है;

व्यय की मद	**मात्रा (रुपये करोड़ में)**
उर्वरक सब्सिडी	225220
खाद्य सब्सिडी	287194
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (पीएम-किसान को छोड़कर)	76279
पीएम-किसान	60000
कुल	648693

* संशोधित अनुमान 2022-23

इसके अलावा, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा वर्ष 2022-23 (स.अ. 2022-23) के दौरान कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जहां अधिकांश लाभार्थी किसान हैं

क्र.सं.	**विभाग/योजना**	**मात्रा (रुपये करोड़ में)**
1	**ग्रामीण विकास विभाग**	
i	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई)	48,422
ii	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,000
iii	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)	89400
iv	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन)	9,652
v	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	13336.42
2	**जल शक्ति मंत्रालय**	
i	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	7084.50
ii	जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	54808.87
3	**मत्स्य पालन विभाग**	1624.18
4	**पशुपालन एवं डेयरी विभाग**	3105.17
	कुल	2,46,433.14

कृषि क्षेत्र के संबद्ध क्षेत्रों का गठन करने वाले मंत्रालयों और उनकी उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:

I. सहकारिता मंत्रालय **अनुबंध-I** पर है

II. पशुपालन एवं डेयरी विभाग **अनुबंध- II** पर है

III. मत्स्य पालन विभाग **अनुबंध-III** पर है

(ग): वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 21.55 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस) नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को केसीसी के माध्यम से उनकी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों के लिए रियायती ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए फिलहाल वित्तीय संस्थानों को ब्याज में 1.5 फीसदी की छूट दी जा रही है। इसलिए, कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए 3.00 लाख रुपये तक का अल्पावधि ऋण किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध है। ऋणों का शीघ्र और समय पर भुगतान करने पर किसानों को अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटाकर प्रति वर्ष 4% रह जाती है। केवल संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए अल्पावधि ऋण के मामले में, 2.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि 7% की दर पर उपलब्ध है। इस पर अतिरिक्त 3% पीआरआई भी मिलता है।

केसीसी के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों को लाना ताकि उन्हें संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से सस्ती दर पर ऋण मिल सके। इसके लिए सरकार फरवरी, 2020 से किसानों के लिए केसीसी परिपूर्णता हेतु एक अभियान चला रही है ताकि पीएम-किसान के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी बचे हुए किसानों को कवर किया जा सके।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, 2.5 करोड़ किसानों को लगभग 2.00 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रवाह से कवर करने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम किसान लाभार्थियों पर विशेष ध्यान देने के साथ पात्र और इच्छुक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। इससे ऐसे किसानों को रियायती ब्याज दर पर संस्थागत ऋण तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिली। दिनांक 15.10.2021 को 2.5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया गया था और दिनांक 03.11.2023 तक, अभियान के भाग के रूप में 5,51,101 करोड़ रुपये की संस्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 451.98 लाख नए केसीसी आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं। एमआईएसएस के लिए बजट अनुमान जिसके तहत केसीसी योजना संचालित होती है, वर्ष 2023-24 हेतु 23000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।

पीएम किसान लाभार्थियों को संतृप्त करने पर विशेष ध्यान देने के साथ एक संशोधित केसीसी संतृप्ति अभियान अर्थात "घर घर केसीसी अभियान" शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान लाभार्थियों को केसीसी से संतृप्त करने के लिए ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति के तहत एक विशेष अभियान के माध्यम से संभावित किसानों को एकजुट करना और सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन आदि के लिए) के तहत अधिकतम संख्या में किसानों/पीएम किसान लाभार्थियों को नामांकित करना है।

इसके अलावा, कृषि अवसंरचना में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के लिए, एक लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। इस वित्तपोषण सुविधा के तहत सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक प्रति वर्ष 3% की ब्याज छूट है।

एआईएफ की शुरूआत से, एआईएफ के तहत 40,645 परियोजनाओं के लिए 31,183 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, इसमें कुल संस्वीकृत राशि में से 24,752 करोड़ रुपये की राशि के लिए योजना का लाभ दिया गया है। इन संस्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 52,952 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है। एआईएफ के तहत संस्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 10,516 वेयरहाउस, 8,595 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 8,770 कस्टम हायरिंग सेंटर, 2,157 सॉर्टिंग और ग्रेडिंग इकाइयां, 1,328 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, 169 परख इकाइयां और लगभग 9110 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और सामुदायिक कृषि संपत्तियां शामिल हैं।

अनुबंध-I

सहकारिता मंत्रालय

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. **पैक्स के लिए मॉडल उपनियम इन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्था बनाते हैं:** अब तक 31 राज्यों/ द्वारा मॉडल उपनियम अपनाए जा चुके हैं।
2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स को सुदृढ़ करना:** इस परियोजना के तहत 28 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स को संस्वीकृती दी गई है। सॉफ्टवेयर तैयार है और अब तक 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो चुका है।
3. **शामिल नहीं की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियां:** जैसा कि राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 9,961 नए पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
4. **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना: 22** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) जैसे राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स की पहचान की है। वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।
5. **ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:** अब तक, 24,470 पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन पैक्स की आय में भी वृद्धि होगी।
6. **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन:** सरकार ने 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी है।
7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के आवंटन के लिए पैक्स को संयुक्त श्रेणी **2 (**सीसी**2)** में शामिल करने की अनुमति दी है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।
8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की अनुमति दी गई:** थोक उपभोक्ता पंप वाले **5** राज्यों के 109 ने खुदरा दुकानों में परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से इंटेन्ट (एलओआई**)** प्राप्त हो गया है।
9. **पैक्स अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र हैं:** सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है।
10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार के लिए पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स:** अब तक 4,289 पैक्स/सहकारी समितियों ने पीएम जन औषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है।
11. **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अब तक 28,648 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।
12. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

13. **ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्ल्यूएस) का ओएंडएम करने के लिए पैक्स:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंचायत/ग्राम स्तर पर ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1,381 पैक्स की पहचान की गई है।

14. **घर के नजदीक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** एक पायलट परियोजना के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड:** एक पायलट परियोजना के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में **73,503** रुपये केसीसी वितरित किए गए हैं।

16. **मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन:** एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ पंजीकृत किए हैं। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को एफएफपीओ में परिवर्तित करने का आवंटन किया है।

ख. ग्रामीण सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करना

17. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति दी गई है:** सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

18. **आरबीआई द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:** ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।

19. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:**

20. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क घटाया गया।**

21. **आरबीआई द्वारा गोल्ड लोन के लिए मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** आरबीआई ने उन यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया है जो पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करते हैं।

अनुबंध-II

पशुपालन एवं डेयरी

(i) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) गोवंश के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने और किसानों के लिए दूध उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाने के लिए।

(ii) दूध और दूध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए डेयरी अवसंरचना निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम।

(iii) पहली बार केसीसी योजना को पशुपालन क्षेत्र से जुड़े सभी किसानों के लिए विस्तारित किया गया है।

(iV) पशुपालन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 15000 करोड़ रुपये का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ)।

(V) राष्ट्रीय पशुधन मिशन छोटे जुगाली करने वालों की उत्पादकता बढ़ाने और पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

(Vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) पशु रोगों जैसे खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करना और पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करना। किसानों के घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की गई हैं।

रा.स.अता.प्र.सं.681

अनुबंध- III

मत्स्य पालन विभाग

1. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के लिए नए मंत्रालय का सृजन: मत्स्य पालन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए और मछुआरों और मछली किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के केंद्रित और समग्र विकास के लिए, भारत सरकार ने फरवरी, 2019 में मत्स्य पालन एक अलग विभाग बनाया और इसके बाद जून, 2019 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का एक नया मंत्रालय बनाया गया।

2. मत्स्य पालन क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है। वर्ष 2015 से केंद्र सरकार ने 38,572 करोड़ रुपये के संचयी निवेश को मंजूरी दी है या घोषणा की है। इसमे शामिल है:

क) नीली क्रांति योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए का निवेश;

ख) 7,522 करोड़ रुपए मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ);

ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए का निवेश;

घ) केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएमएमएसवाई के तहत 6,000 करोड़ रुपये की उप-योजना की घोषणा की गई

प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) वित्त वर्ष 2020-21 से कार्यान्वयन में है और यह देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है।

3. रिकॉर्ड राष्ट्रीय मछली उत्पादन: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत का वार्षिक मछली उत्पादन 95.79 लाख टन (वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में) से बढ़कर 2022-23 में 175.45 लाख टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड तक पहुंच गया है।

4. अंतर्देशीय और जलीय कृषि उत्पादन को दोगुना करना: अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि से मछली उत्पादन वित्त वर्ष 1950-51 में मात्र 2.18 लाख टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 131.13 लाख टन हो गया है जो वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 61.36 लाख टन से वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में से 121.12 लाख टन दोगुना हो गया है।

5. समुद्री भोजन निर्यात को दोगुना करना: भारतीय समुद्री भोजन 129 देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका है। वास्तव में, वित्त वर्ष 2005-06 से 2013-14 की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 की अवधि से पहले के 9 वर्ष के लिए 1.20 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 की 9 साल की अवधि के लिए संचयी निर्यात का मूल्य 3.41 लाख करोड़ रुपये था।

6. खारे पानी के जलीय कृषि उत्पादन को दोगुना करना: देश का झींगा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 3.22 लाख टन से 267% बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 11.84 लाख टन (अनंतिम आंकड़े) दर्ज किया गया। इसी तरह, झींगा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 के अंत में 19,368 करोड़ रुपये से 123% की वृद्धि के साथ दोगुना से अधिक हो गया है और वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में 43,135 करोड़ रुपये हो गया है।

7. सतत विकास दर और राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) और कृषि जीवीए में मत्स्य पालन क्षेत्र का बढ़ा हुआ योगदान: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक (स्थिर कीमतों पर) 8 साल की अवधि के लिए 8.61% की निरंतर वार्षिक औसत वृद्धि दर दिखाई है। वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक आठ साल की अवधि के दौरान, मत्स्य पालन क्षेत्र का जीवीए वित्त वर्ष 2013-14 में 76,487 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,47,518.87 करोड़ (स्थिर कीमतों पर) और वित्त वर्ष 2013-14 में 98,189.64 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2021-22 में (मौजूदा कीमतों पर) 2,88,526.19 करोड़ हो गया है।

8. मछुआरों और मछली किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से संस्थागत ऋण: भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मछली पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए केसीसी सुविधा प्रदान की। अब तक मछुआरों और मछली पालकों को 1.70 लाख केसीसी कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

9. फिशिंग हार्बर (एफएच) और फिश लैंडिंग सेंटर (एफएलसी) में अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान: पिछले 9 वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने नीली क्रांति योजना, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ); और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 107 फिशिंग हार्बर और फिशिंग लैंडिंग सेंटर के निर्माण/आधुनिकीकरण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

*****